

**न्यायालय जिला कलक्टर करौली**

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

बच्चूसिंह जाट पुत्र श्री रामस्वरूप जाट उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम पंचायत बीजलपुर  
तहसील करौली जिला करौली (राज0) — अपीलान्ट

**बनाम**

जिला रसद अधिकारी करौली, जिला करौली (राज0) — रेस्पोंडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवम् अन्य आवश्यक पदार्थ विनिमय  
आदेश 1976 एवम् जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.  
2019 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2019 के अन्तर्गत

**निर्णय**


दिनांक 14.10.2019

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 29.06.2019 को जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा मय टीम अपीलार्थी की राशन दुकान का निरीक्षण किया गया जिसमें पाई गई अनियमितताओं के आधार पर जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा आदेश क्रमांक—रसद /अभियोजन/2019-20/539-545 दिनांक 04.07.2019 द्वारा अपीलार्थी का राशन प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।


अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलान्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत बीजलपुर तहसील करौली जिला करौली (राज0.) के 1/2 भाग का उचित मूल्य दुकानदार है जिसका प्राधिकार पत्र संख्या 85/02 है एवं याचिकाकर्ता द्वारा बिना किसी शिकायत के ग्राम पंचायत बीजलपुर के उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का वितरण किया जाता रहा है। राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 30.06.2016, 19.07.2016, एवं 05.08.2016 को पोश मशीन द्वारा रसद सामग्री का ऑनलाईन वितरण बाबत दिशा निर्देश पारित किये गये तत्पश्चात् दिनांक 24.03.2017 को संशोधित आदेश पारित किये जिसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा अपने आधार कार्ड एवं अंगूठे का बायोमैट्रिक रूप से मिलान करने पर उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओ.टी.पी. नम्बर आता है जिसको उपभोक्ता द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को बताने पर रसद सामग्री देय होती है जिसका प्राप्ति मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाता है। चूंकि उक्त वितरण व्यवस्था पूर्ण रूप से कम्प्यूटराइज्ड होने के कारण लेसमात्र भी कालाबाजारी की कोई गुंजाईश नहीं हो सकती एवं उक्त पोश मशीन से ऑनलाइन वितरण के कारण उपभोक्ता को देय रसद सामग्री का मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाने के कारण राशनकार्ड में रसद सामग्री का इन्द्राज किया जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उपभोक्ता द्वारा भामाशाह कार्ड अथवा आधार कार्ड लाने पर ही रसद सामग्री दिये जाने बाबत आदेश पारित किये गये हैं। प्रवर्तन निरीक्षक सपोटरा जिला करौली द्वारा दिनांक 29.06.2019 को प्रार्थी की दुकान का निरीक्षण किया गया जिसके उपरान्त जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को दिनांक 04.07.2019 को निलम्बित किया जाकर प्रार्थी को कारण बताओ नोटिस

  
जिला कलक्टर  
करौली


जाये किया जिसका उचित एवं विस्तृत जबाव प्रार्थी द्वारा दे दिया गया। निलम्बन आदेश दिनांक 04.07.2019 को प्रार्थी द्वारा जरिये याचिका माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थी की याचिका पर सुनवाई की जाकर अपने आदेश दिनांक 05.09.2019 द्वारा अपीलीय अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्पीकिंग आदेश के साथ 15 दिवस के अन्दर निस्तारित करें। विवादित आदेश दिनांक 04.07.2019 राजस्थान खाद्यान्न एवम् अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियम आदेश, 1976 के प्रावधानों के विपरीत एवम् विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 30.06.2016, 19.07.2016 एवं 05.08.2016 को पोश मशीन द्वारा रसद सामग्री का ऑनलाईन वितरण बाबत दिशा निर्देश पारित किये गये तत्पश्चात दिनांक 24.03.2017 को संशोधित आदेश पारित किये जिसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा अपने आधार कार्ड एवं अंगूठे का बायोमैट्रिक रूप से मिलान करने पर उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओ.टी.पी. नम्बर आता है जिसको उपभोक्ता द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को बताने पर रसद सामग्री देय होती है जिसका प्राप्ति मैसेज उपभोक्ता को रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाता है। आप अपने हाथ का अंगूठा या कोई भी अंगुली पोश मशीन पर लगाकर अपनी पहचान दर्ज करके ले सकते हैं। अंगूठा मशीन पर कुछ देर तक लगाए रखना होता है (जब तक मशीन में लाइट न जल उठे) किसी कारण से अगर मशीन में किसी व्यक्ति की पहचान ना हो तो परिवार का कोई और व्यक्ति (जिसका नाम भामाशाह से जुड़ा हो) भी अपनी पहचान दर्ज करवाकर परिवार का राशन ले सकता है। अगर तीन बार में किसी व्यक्ति की पहचान दर्ज न हो तो भामाशाह में रजिस्टर्ड आपके मोबाइल पर मैसेज से अपने आप एक ओ.टी.पी. (वन टाइम पासवर्ड) आ जाता है। इस ओटीपी को मशीन में दर्ज करके भी राशन लिया जा सकता है। अगर आपके परिवार का कोई मोबाइल भामाशाह में दर्ज नहीं है तो आप ई-मित्र केन्द्र पर जाकर इसे दर्ज करवा सकते हैं ताकि आपको यह सुविधा मिल सके। इस व्यवस्था का फायदा यह भी है कि राशन की दुकान पर राशन आते ही मैसेज मिल जाता है कि आपका राशन आ गया है। इसके अलावा राशन लेने पर भी मैसेज मिल जाता है कि आपने इतना राशन ले लिया है और इतना राशन शेष है। राशन लेने के बाद उपभोक्ता को हिसाब की पर्ची भी मिल जाती है जिससे लेन-देन व उपलब्ध शेष राशन की पूरी जानकारी उपभोक्ता को रहती है। चूंकि उक्त वितरण व्यवस्था पूर्ण रूप से कम्प्यूटराइज्ड होने के कारण लेसमात्र भी कालाबाजारी की कोई गुंजाईश नहीं हो सकती एवं उक्त पोश मशीन से ऑनलाईन वितरण के कारण उपभोक्ता को देय रसद सामग्री का मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाने के कारण राशनकार्ड में रसद सामग्री का इन्द्राज किया जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उपभोक्ता द्वारा भामाशाह कार्ड अथवा आधार कार्ड लाने पर ही रसद सामग्री दिये जाने बाबत आदेश पारित किये गये हैं बावजूद इसके जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा अपने विवेक का उचित उपयोग किये दिना ही प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को बिना किसी उचित निष्कर्ष पारित किये निलम्बित कर दिया जो कि उक्त विवादित आदेश दिनांक 04.07.2019 विधिसम्मत नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी के ऊपर रसद सामग्री की कालाबाजारी एवं दुरुपयोग का कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 25.03.1994 को समस्त जिला रसद अधिकारी राजस्थान को परिपत्र जारी कर निर्देशित किया गया है कि छोटी मोटी तकनीकी अनियमितताओं के आधार पर डीलरों के विरुद्ध मुकदमें दर्ज नहीं किये जाने बावजूद इसके जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा याचिकाकर्ता के प्राधिकार पत्र को केवल मात्र दुकान बंद पायी जाने के आधार पर निलम्बित किया गया जो कि कतई रूप से

  
जिला क्लर्क  
करौली

उचित नहीं है। अतः विवादित आदेश दिनांक 04.07.2019 निरस्त किये जाने योग्य है। निलम्बन आदेश के पश्चात् जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा प्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसका उचित एवं विस्तृत जबाव प्रार्थी द्वारा दे दिया गया एवं अवशेष स्टॉक प्रार्थी द्वारा अटैच डीलर को सुपुर्द कर दिया गया। बावजूद इसके जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा आज तक प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को बहाल नहीं किया गया। अतः विवादित आदेश दिनांक 04.07.2019 निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा निलम्बन आदेश दिनांक 04.07.2019 को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई जो माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 05.09.2019 द्वारा अपीलीय न्यायालय को निर्देशित किया कि प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की जाने पर उक्त अपील को स्पीकिंग आदेश के सहित 15 दिवस के अन्दर निस्तारित करें। याचिकाकर्ता का एकमात्र रोजगार यह दुकान है। याचिकाकर्ता के ऊपर पूरे परिवार का भरण पोषण का दायित्व है एवम् याचिकाकर्ता के ऊपर गबन व कालाबाजारी का कोई आरोप प्रमाणित नहीं है उसके बावजूद याचिकाकर्ता के प्राधिकार पत्र को बिना किसी उचित कारण के निलम्बित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

प्रतिनिधि प्रत्यर्थी ने बहस में कथन किया है कि दिनांक 29.06.2019 को अपीलार्थी की दुकान का जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा मय टीम जांच की गई। वक्त जांच दुकान बंद पायी गई जिसे दूरभाष पर अपीलार्थी डीलर से सम्पर्क कर एवं बुलवा कर खुलवाया गया। वक्त जांच पोस मशीन में 97 किलोग्राम चीनी, शून्य लीटर केरोसीन एवं 2978 किलोग्राम गेहूं दर्ज पाया गया। दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर गेहूं 79 क्विं., केरोसीन शून्य लीटर एवं चीनी 197 किलोग्राम पायी गई। डीलर ने बताया कि माह जुलाई 19 के पेटे 51.80 क्विं. गेहूं की आमद हुई है जिसकी बिल्टी अपीलार्थी डीलर द्वारा पेश की गई। कार्यालय रिकॉर्ड एवं ऑनलाइन वितरण के आधार पर समीक्षा करने पर वक्त जांच अपीलार्थी के पास माह जून 2019 का प्रारंभिक स्टॉक 4519 किलोग्राम गेहूं, माह जून 19 व जुलाई 19 की आमद 9776 किलोग्राम कुल 14295 किलोग्राम गेहूं में से 6137 किलोग्राम गेहूं के वितरण उपरांत 8158 किलोग्राम गेहूं होना चाहिये था जो 258 किलोग्राम गेहूं अधिक पाया गया। इसी प्रकार दिनांक 01.01.2018 को प्रारंभिक स्टॉक 0 क्विं. चीनी एवं वक्त जांच तक आमद 7 क्विं. चीनी में से 4.58 क्विं. चीनी के वितरण उपरांत 2.42 क्विं. चीनी होनी चाहिये थी जो 45 किलोग्राम चीनी कम पायी गई। इसी प्रकार दिनांक 01.10.2016 को प्रारंभिक स्टॉक 0 लीटर केरोसीन एवं वक्त जांच तक आमद 7950 लीटर केरोसीन में से 7776.2 लीटर केरोसीन के वितरण उपरांत 173.8 लीटर केरोसीन अपीलार्थी के पास होना चाहिये था जो 0 लीटर पाया गया। इस प्रकार 173.8 लीटर केरोसीन कम पाया गया। इस प्रकार अपीलार्थी डीलर द्वारा 258 किलोग्राम गेहूं, 45 किलोग्राम चीनी एवं 173.8 लीटर केरोसीन कम पाया गया है जिसका अपीलार्थी द्वारा दुरुपयोग किया गया है जो गंभीर अनियमितता है जिसके आधार पर अपीलार्थी राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया है जो विधिसम्मत है। मौके पर बनाये गये फर्द मौका पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर हैं जिनसे भौतिक सत्यापन पर पाई गई सामग्री प्रमाणित होती है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाने का कथन किया है।


बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। दिनांक 29.06.2019 को जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा मय टीम अपीलार्थी की दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त जांच दुकान बंद पायी गई जिसे अपीलार्थी से दूरभाष पर संपर्क कर एवं बुलवाकर खुलवाया गया। अपीलार्थी की दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर दुकान में 7900 किलोग्राम गेहूं,

  
जिला क्लर्क  
करौली

0(शून्य) लीटर केरोसीन एवं 197 किलोग्राम चीनी पायी गई। कार्यालय रिकॉर्ड, ऑनलाइन वितरण के आधार पर अपीलार्थी की दुकान की समीक्षा करने पर अपीलार्थी के पास वक्त जांच 8158 किलोग्राम गेंहूं, 2.42 क्विं. चीनी एवं 173.8 लीटर केरोसीन होना चाहिये था। इस प्रकार अपीलार्थी की दुकान पर वक्त जांच 258 किलोग्राम गेंहूं, 45 किलोग्राम चीनी एवं 173.8 लीटर केरोसीन कम पाया गया जिसका अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा दुरुपयोग किया जाना विदित होता है जो गंभीर अनियमितता है। इसके अतिरिक्त सूचना बोर्ड पर राशन दुकान बंद रखने का कारण अंकित किये बिना राशन दुकान को बंद नहीं रखा जा सकता है। दुकान के बंद रखने के कारण उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का वितरण भी समय पर नहीं हो पाता है जिससे सरकार की गरीब उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाने की मंशा भी पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए हम अपील अपीलाण्ट को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी करौली का आदेश दिनांक 04.07.2019 यथावत् रखा जाता है। जिला रसद अधिकारी करौली का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ भिजवाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।



(डॉ. मोहन लाल यादव)

जिला कलक्टर

करौली